न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 02 / 2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025 / 4

अपीलाण्ट्स :–

1. कल्याण सिंह पुत्र श्री विरदा उर्फ विरदसिंह जाति रजपूत
2. छतरसिंह पुत्र श्री विरदा उर्फ विरदसिंह जाति रजपूत निवासीगण ग्राम बाला, तहसील पाली जिला पाली (राज)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. नेमसिंह पुत्र श्री विरदा उर्फ विरदसिंह जाति रजपूत, निवासी ग्राम बाला, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती मीरा पत्नी नेमसिंह जाति रजपूत निवासी ग्राम बाला, तहसील पाली जिला पाली।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसील पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं रेस्पोडेण्ट की प्राथमिक आपत्ति दिनांक 12.02.2025

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28.03.2025

(मुहर: न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान))

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2951 दिनांक 13.09.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पो. ने वक्त बहस अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.02.2025 बाबत् अपील अपीलाण्ट्स पोषणीय नहीं होने से खारिज करने में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया जैर नामान्तरकरण 2951 स्वीकृत आदेश दिनांक 13.09.2024 अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व मुकदमा संख्या 38 / 2024 बअनवान नेमसिंह बनाम मृतक राणा के कायम मुकाम वगैरह में सादिर आदेश दिनांक 03.09.2024 के आधार पर स्वीकृत किया गया। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक जैर नामान्तरकरण के खिलाफ श्रीमान के न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा पेश अपील कानूनन पोषणीय नहीं है जबकि जैर अपील, अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश के खिलाफ की गई है जो कि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से पोषणीय नहीं है। अतः

प्राथमिक आपत्ति दिनांक 12.02.2025 को स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट श्रीमान के न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने जवाब आवेदन दिनांक 25.03.2025 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 2951 दिनांक 13.09.2024 अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व मुकदमा संख्या 38/2024 बअनवान नेमसिंह बनाम मृतक राणा के कायम मुकाम वगैरह में जो आदेश दिनांक 03.09.2024 को किया है जो आदेश कानून की मंशा के विरूद्ध किया है जो कि 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की मंशा यह है कि यदि उत्तराधिकारी या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवाप्ति विवादास्पद हो तो तहसीलदार, इस अधिनियम विधि के अन्दर पूर्णरूपेण जांच करेगा, मगर अधीनस्थ अधिकारी ने धारा 135 (2) की जांच करनी थी वो मृतक राणा पुत्र विरदा के परिवार से न तो कोई जांच की है ना ही कोई साक्ष्य लिये है। बिना जांच किये नेमसिंह के नाम बाले–बाले अधीनस्थ अधिकारी ने नामान्तरकरण भर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। इस कारण से अपीलाण्ट ने श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जैर अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पो. संख्या 01 व 02 की प्राथमिक आपत्ति दिनांक 12.02.2025 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि उक्त प्राथमिक आपत्ति में रेस्पो. का मुख्य उज्र यह है कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2951 के विरूद्ध पेश की है जो कि एक विवादित प्रकरण में पारित आदेश के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील है जबकि श्रीमान के न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में अविवादित प्रकरण में पारित आदेश के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील ही पोषणीय है। अधिवक्ता विपक्षी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुए बताया कि तहसीलदार ने बिना जांच किये ही बाले बाले नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जिससे उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की गई।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 38/2024 बअनवान नेमसिंह बनाम मृतक राणा के कायम मुकाम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.09.2024 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित प्रकरण में निर्णय पारित कर जैर नामान्तरकण स्वीकृत किया है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) अन्तर्गत आता है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना F. 1(236) Rev/D/56 दिनांक 26.10.1956 के अनुसार "राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 धारा 135 की उपधारा 2 में संदर्भित विवादित मामलों को तय करने की भूमि रिकॉर्ड अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग तहसीलदार द्वारा भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस अधिसूचना के तहत तहसीलदार की शक्तियाँ भूमि अभिलेख अधिकारियों की शक्तियों के साथ समवर्ती हैं। उपधारा 2 के तहत तहसीलदार केवल तभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जब वह **'विवाद'** से निपटने के लिए अन्यथा सक्षम हो। इस अधिसूचना ने उन्हें भूमि अभिलेख

अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया है"। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा केवल उन्हीं प्रकरणों को सुनने हेतु सक्षम है जिसमें तहसीलदार द्वारा निर्विवादित प्रकरणों में पारित आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया हो। चूंकि हस्तगत प्रकरण में यह परिलक्षित है कि जैर नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा एक विवादित प्रकरण में पारित आदेश के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार न्यायायल हाजा को नहीं होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति दिनांक 12.02.2025 स्वीकार की जाती है, जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील खारिज की जाती है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट विधिक उपचारों के साथ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक **18.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली